



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1007]
No. 1007]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 24, 2004/अग्रहायण 3, 1926
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 24, 2004/AGRAHAYANA 3, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2004

का.आ. 1296(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में—

(क) क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)

(2)

(3)

“1 राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4, सं. 9 [215.8 कि.मी. से 266.4 कि.मी. तक (नंदीगामा से विजयवाडा) को छोड़कर], सं. 16 [205.0 कि.मी. से 235.0 कि.मी. तक (चेन्नौर से अर्जुन गुटटा) को छोड़कर] सं. 43, सं. 63, सं. 202, सं. 205, सं 219, सं. 221 और सं. 222 के आंग्रे प्रदेश राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 18, सं. 214 और सं. 214क ।

(ख) क्रम संख्या 13क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
	“13क राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 (228 कि.मी. से 524.000 कि.मी.तक को छोड़कर) सं. 72, सं. 72क, सं. 73, सं. 74 और सं. 87 (जिसके अंतर्गत वह राजमार्ग जो नैनीताल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 87 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होता है और कर्णप्रयाग पर समाप्त होता है (किंतु सिमली से कर्णप्रयाग तक के भूखंड को छोड़कर) और सं. 119 के उत्तरांचल राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 94 (123 कि.मी. से 218 कि.मी. धरासू से कुथनाने तक यमनोत्री के पास), सं. 121, सं. 123 और सं. 125 (टनकपुर से पिथौरागढ़ तक के भूखंड को छोड़कर)	उत्तरांचल राज्य सरकार ।” :

[फा. सं. एन एच-14012/21/2004-पी एंड एम (पी टी)]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.नि.आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन का.आ. 1102(अ), तारीख 6 नवम्बर, 2001 और का.आ. 886(अ), तारीख 5 अगस्त, 2004 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2004

S.O. 1296(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Transport number S.R.O 1181, dated the 4th April, 1957, namely :-

In the Schedule to the said notification,—

(a) for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-

1	2	3
“1	So much of National Highways No. 4, No.9 [excluding from Km. 215.8 to Km. 266.4 (from Nandigama to Vijayawada)], No.16 [excluding from Km. 205.0 to Km. 235.0 (Chennur to Arjungutta)], No.43, No.63, No.202, No.205, No. 219, No.221 and No.222 as are situated within the State of Andhra Pradesh and National Highways No.18 , No.214 and No.214A.	State Government of Andhra Pradesh.”;

(b) for serial number 13 A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-

1	2	3
“13A.	So much of National Highways No 58 (excluding from Km. 228 to Km.524.000), No.72, N°.72A, No.73, No.74, and No.87 (including the Highway starting its junction with NH 87 near Nainital and terminating at Karna Prayag but excluding the stretch from Simli to Karna Prayag) and No.119 as are situated within the State of Uttaranchal and National Highways No. 94 (from Km.123 to Km. 218 Dharasu to Kuthnane near Yamnotri), No. 121, No.123 and No. 125 (excluding the stretch from Tanakpur to Pithoragarh).	State Government of Uttaranchal.”;

[F. No. NH-14012/21/2004-P & M(Pl.)]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.

Foot note :—The Principal notification was published in the Gazette of India vide S.R.O. 1181, dated the 4th April, 1957 and last amended *vide* S.O. 1102(E) dated 6th November, 2001 and S.O. 886(E) dated the 5th August, 2004.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2004

का.आ. 1297(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (1) में यथा वर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सारणी के स्तंभ (2) में इसके सामने यथा उल्लिखित तत्स्थानी खंड के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट भूखंडों को सीमा सङ्गठन को सौंपती है।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	भूखंड कि.मी. में
(1)	(2)	(3)
राष्ट्रीय राजमार्ग - 87	सिमली - कर्णप्रयाग	7.00 कि.मी.
राष्ट्रीय राजमार्ग - 125	टनकपुर-पिथौरागढ़	151.00 कि.मी.

[फा. सं. एन एच-14012/21/2004-पी एंड एम (पी टी)]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2004

S.O. 1297(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby entrusts the stretches as specified in column (3) of the Table annexed hereto, of the corresponding Section as mentioned against it in column (2) of the said Table, of the National Highway as described in column (1) thereof, to the Border Roads Organisation.

TABLE

National Highway No. (1)	Section (2)	Length of the Stretch in Kilometer (3)
NH 87	Simli-Karna Prayag	7.00 K.m.
NH 125	Tanakpur - Pithoragarh	151.00 K.m.

[F. No. NH-14012/21/2004-P & M(Pt.)]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.